कार्यवाही की गई है और इस सम्बन्ध में राज्यवार ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

श्रम संबंधी मामलों का निपटान

2920. श्री नागमणि: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रम संबंधी मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये अतिरिक्त श्रम मंत्रालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण और लोक अदालतों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) फरवरी, 1998 तक कितने मामले लम्बित हैं और इन न्यायालयों द्वारा कितने निपटाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए भारत सरकार ने अब तक 12 केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह-श्रम न्यायालयों की स्थापना की है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत समुचित सरकार है। पिछले दो वर्षों में अन्य कोई केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय की व्यवस्था नहीं की गई है। श्रम मामलों के निपटान के लिए केन्द्रीय सरकार ने लोक अदालतों की व्यवस्था नहीं की है।

वर्ष 1997 के दौरान केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों के माध्यम से निपटाये गये तथा लम्बित मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1997 (31.12.1997 की स्थिति के अनुसार) के दौरान केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों द्वारा निपटाने गए तथा लम्बित मामलों की संख्या

क्रम संख्या	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह-श्रम न्यायालय का नाम	जनवरी 1997 की स्थिति के अनुसार अग्रानीत	वर्ष 1997 के दौरान प्राप्त	वर्ष 1997 के दौरान निपटाए गए	31.12.97 की स्थिति के अनुसार लम्बित
1.	आसनसोल	201	65	93	173
2.	बंगलौर	371	—	3	368
3.	कलकत्ता	312	53	75	290
4.	चंडीगढ़	867	198	—	1065
5.	सं० 1. धनबाद	900	203	96	1007
6.	सं० 22. धनबाद	715	146	31	830
7.	जबलपुर **	1364	168	1	1531
8.	कानपुर	576	260	381	455
9.	सं० 1 मुंबई	170	72	56	186
10.	सं० 2 मुंबई	105	99	87	117
11.	नई दिल्ली	729	196	154	771
12.	जयपुर ***				
	कुल	6310	1460	977	6793

* 31.8.97 की स्थिति के अनुसार
** 31.8.97 की स्थिति के अनुसार
*** कार्य अभी शुरू किया जाना है।